

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम् श्रीमती नसीरा वगैरा
एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2728/2009

आदेश दिनांक

07.02.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

कोई उपस्थित नहीं

पत्रावली पर कार्यालय द्वारा अंकित टिप्पणी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थागण संख्या-1 से 7 के फ़ेश नोटिस व तलबाना प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अपीलार्थी को प्रत्यर्थागण संख्या 1 से 7 के फ़ेश नोटिस व तलबाना प्रस्तुत करने हेतु दो सप्ताह का समय और दिया किया जाता है। यदि उक्त अवधि में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थागण संख्या-1 से 7 के फ़ेश नोटिस व तलबाना प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो यह अपील बिना न्यायालय को संदर्भित किए स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-4

सत्यमेव जयते